न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
79 / 2022	29.6.2022	31.10.2025

भवानीसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी——वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र स्व0 भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. धर्मसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लाखनसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. मिनेश पुत्री प्यारेलाल पत्नि ईश्वर, खारवाल निवासी इन्दौर (मध्य प्रदेश)
5. गंगादेवी पत्नि प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. रामकिशोर पुत्र भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. नत्थू पुत्र भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. सोनी देवी पत्नि रामकिशोर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
9. पांची पत्नि स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
11. घनश्याम पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
12. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
13. प्यारसिंह पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. शिमला पत्नि प्रहलाद पुत्री स्व0 गंगाधर, खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती
15. उदयसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
16. कमलेश पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
17. जयसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
18. मानसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
19. सतानन्द पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
20. सुनीता पुत्री रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
21. जसवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
22. कैलाशसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
23. चेतसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
24. प्रेमसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
25. मुकेश पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
26. मुन्नीलाल पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (सिमा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

27.हरकेश पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
28.मूडी पत्नि कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
29.मंथरा पुत्री कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
30.लीला पुत्री कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
31.पार्वती पत्नि सूका पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
32.छोटी पत्नि मुकट पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
33.कुच्ची पत्नि नाथ्या पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
34.उगन्ती पत्नि माधो पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
35.गुड्डी पत्नि लेखराम पुत्री बदरी, खारवाल नि0उदेईकलां तह0गंगापुरसिटी
36.रामपति पत्नि धर्मसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
37.लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् घोषणां, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :— श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक ही पूर्वज भोला के वारिस हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की पैत्रक आराजी ख0नं0 339 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 468 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 1646 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1805 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1840 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1858 रकबा 2.85 है0, ख0नं0 2390 रकबा 1.69 है0, ख0नं0 2396 रकबा 1.94 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.46 है0 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/3 के रूप में दर्ज है। इसी तरह ख0नं0 463 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 656 रकबा 2.31 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 है0 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी में स्थित जो भी प्रतिवादीगण व वादी की पैत्रक आराजी है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का भी हिस्सा 1/24, 1/24 के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 9 के पति व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के पिता गंगाधर का हिस्सा 1/24 के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 19 का हिस्सा 3/35, 3/[illegible] प्रतिवादी संख्या 20 का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 का [illegible] 1/24, 1/24, प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 30 का हिस्सा 1/48, [illegible] 48, प्रतिवादी संख्या 31 लगा0 35 के पिता बदरी का हिस्सा 1/24 के रूप [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

इसी तरह ख0नं0 1793 रकबा 0.53 है0 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की खरीदशुदा आराजी है जो राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 8 के नाम हिस्सा 1/2 के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी का आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रतिवादी संख्या 8 के नाम खरीद किया था तथा आधा हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से खरीद किया था जिसमें वादी ने 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्से की राशि खरीद मूल्य में दी तथा 1/3 हिस्से की राशि प्रतिवादी संख्या 2 ने दी थी। वादपत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का शामिल हिस्सा है क्योंकि उक्त आराजी पैत्रक होने से तथा पक्षकारान हिन्दू होने से उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का भी जन्म से हीहक व हिस्सा रहता है। इस तरह वादपत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो 1/3 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है उसमें 1/5 हिस्सा वादी का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का बनता है जो हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 0.49 है0 के बराबर होता है क्योंकि उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो 1/3 हिस्सा वह 2.48 हैक्टर रकबा होता है। इसी तरह वादपत्र की मदसंख्या 3 में वर्णित आराजी भी पैत्रक होने से उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो 1/24 हिस्सा दर्ज है उसमें 1/5 हिस्सा वादी का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का बनता है। प्रतिवादी संख्या 3 मंदबुद्धि है। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्धावस्था की अवस्था में है। सन् 2008 में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को बैठाकर उक्त कृषि भूमि व अपनी अन्य अचल सम्पत्ति का बंटवारा मौखिक रूप से किया। उस समय प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे करीब साढे आठ लाख रूपए का कर्जा बाकी था। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त कर्जा चुकाने से स्पष्ट मना कर दिया। प्रतिवादी संख्या 3 मन्दबुद्धि होने के कारण कोई कार्य [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा यदि कर्जा नहीं चुका तो जमीन बेचनी [illegible] ऐसे में वादी ने अपना पुत्र धर्म निभाते हुए उक्त कर्ज [illegible] उक्त परिस्थितियो में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति व कृषि भूमि का मौखिक रूप से तीन हिस्सो में विभाजन करते हुए एक हिस्सा प्रतिवादी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

2 को तथा दो हिस्से वादी को देना स्वीकार किया एवं साढे आठ लाख रू0 का कर्जा वादी द्वारा ही चुकाना तय हुआ जो वादी द्वारा चुकाया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 को खाना खुराक आदि की जिम्मेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बराबर रखी गई और और तभी से प्रतिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 वादी के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते रहे हैं। पिछले करीब 3 वर्ष से वादी बीमार चल रहा है इस कारण कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा था तथा अपने इलाज में व्यस्त है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 व 5 को बहकाकर अपने यहां ले गया और उसने अभी कुछ दिन पूर्व गुपचुप तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से दो उपहार पत्र अपनी पत्नि रामपति प्रतिवादी संख्या 36 के हक में बदनीयतिपूर्वक निष्पादित करा लिए जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 से खसरा नं0 1793 रकबा 0.53 है0 में जो उसके नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था उक्त समपूर्ण हिस्से को अपनी पत्नि के नाम दिनांक 6.6.2022 को उपहार पत्र के माध्यम से अपनी पत्नि प्रतिवादिया संख्या 36 के नाम गलत तरीके से अन्तरित करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 5 से उक्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 36 के नाम अन्तरित कराने का कोई अधिकार नहीं रहा है ना ही प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 36 के नाम अन्तरित करने का ही कोई अधिकार रहा है क्योंकि प्रतिवादी सं0 5 के नाम ख0नं0 1793 का जो 1/2 हिस्सा दर्ज है उसकी खरीद में 2/3 हिस्से की राशि वादी ने अदा की थी। केवल मां का सम्मान रखते हुए बयनामा मां के नाम करवाया था। इसके अलावा मौखिक बंटवारे में भी उक्त आराजी का 2/3 हिस्सा वादी को ही दिया गया था। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 से प्रतिवादी संख्या 36 के नाम उक्त आराजी ख0नं0 1793 रकबा 0.53 है0 का जो 1/2 हिस्सा उक्त उपहार पत्र (हिबा नामा) के आधार पर अन्तरित कराया है। उक्त उपहार पत्र हिस्सा 1/2 में से वादी के हिस्से 2/3 यानि कुल आराजी में से हिस्सा 1/3 की हद तक वादी के विरूद्ध नल एण्ड वोइड घोषित किए जाने योग्य है तथा इस 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने योग्य है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से ख0नं0 1858 रकबा 2.85 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 तथा वाद पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित आराजियात [illegible] प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/24 सम्पूर्ण भूमि [illegible] प्रतिवादी संख्या 36 के नाम दिनांक 6.6.2022 को निष्पादित करा दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी का उक्त हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 से प्रतिवादी सं0 36 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

नाम उक्त प्रकार अन्तरित कराने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है ना ही प्रतिवादी सं0 1 को उक्त उपहार पत्र के माध्यम से उक्त आराजी का हिस्सा प्रतिवादी सं0 36 के नाम अन्तरित करने का ही कोई अधिकार रहा है क्योंकि मौखिक बंटवारे में उक्त आराजियात का भी 2/3 हिस्सा वादी को दिया जा चुका है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 को दिया गया था। इस तरह प्रतिवादी सं0 1 के पास कोई हिस्सा ही शेष नहीं था। इसके अलावा उक्त आराजियात वर्णित वाद पत्र मद नं0 2 व 3 में प्रतिवादी सं0 1 का पैत्रक सम्पत्ति होने से 1/5 हिस्से से ज्यादा हिस्सा किसी तरह नहीं बनता है जो कि 0.51 है0 के बराबर होता है जबकि उक्त उपहार पत्र के माध्यम से प्रतिवादी सं0 1 से प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 36 के नाम जो हिस्सा अन्तरित कराया है वह 1.07 है0 के बराबर होता है और इतना हिस्सा प्रति0 सं0 1 का उक्त आराजी में किसी तरह नहीं बनता है। इस तरह भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 36 के हक में निष्पादित कराया गया उक्त उपहार पत्र दिनांकित 6.6.2022 वादी के 2/3 हिस्से की हद तक नल एण्ड वोइड घोषित किए जाने योग्य है तथा वादपत्र के मद सं0 2 व 3 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है उस हिस्से में से 2/3 हिस्से तक के हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 36 के हक में प्रतिवादी सं0 1 व 5 के नाम से निष्पादित कराए गए उक्त गलत दस्तावेजात की जानकारी वादी को दि0 14.6.2022 को होने पर वादी ने प्रतिवादी सं0 2 व 36 से इस सन्दर्भ में बात करना चाहा तो वे झगडे को आमादा हो गए। वादी ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 1 व 5 से बात की तो उन्होने उक्त दस्तावेजों से अनभिज्ञता जाहिर की तथा कहा कि हमसे तो खाता छंटवाने की कहकर अंगूठा निशानी करवाए हैं, हमने कोई जमीन उपहार में नहीं दी है लेकिन इतने में ही प्रति0 सं0 2 व उसके परिजन आ गए और वादी से झगडा करने लगे। प्रतिवादी सं0 2 ने वादी को धमकी दी कि उक्त उपहार पत्रों के आधार पर शीघ्र ही जमीन अपने नाम लगवा कर दूसरों को बेच दूंगा। उक्त घटना के बाद वादी ने तहसील कार्यालय में जाकर उक्त दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.6.2022 को प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की जब वादी को पूर्ण जानकारी हुई। वादपत्र के मद सं0 [illegible] में वर्णित आराजियात में खातेदार वदरी व गंगाधर की मृत्यु हो चुकी है [illegible] उनके वारिसान को दावे में पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0नं0 339 रकबा 0.29

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

है0, ख0नं0 468 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 1646 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1805 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 1840 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 1858 रकबा 2.85 है0, ख0नं0 2390 रकबा 1.69 है0, ख0नं0 2396 रकबा 1.94 है0 कुल रकबा 7.46 है0 ग्राम उदेईकलां के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम हिस्सा 1/3 के रूप में जो दर्ज है उस हिस्से में वादी का 1/5 हिस्सा होने से तथा वादपत्र के मद नं0 3 में वर्णित आराजी ख0नं0 463 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 656 रकबा 2.31 है0 कुल रकबा 2.90 है0 ग्राम उदेईकलां में प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो हिस्सा 1/24 के रूप में दर्ज है उस हिस्से में वादी का 1/5 हिस्सा होने से वादी के उक्त हिस्से तक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का भी 1/5, 125 हिस्सा होने से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को भी उक्त आराजियात के उक्त हिस्से में 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा तदनुसार उक्त आराजियात के सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। वादपत्र के मद नं0 4 में वर्णित आराजी ख0नं0 1793 रकबा 0.53 है0 ग्राम उदेईकलां के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 5 के नाम जो हिस्सा 1/2 दर्ज है, उसकी खरीद में वादी द्वारा 2/3 हिस्सा राशि अदा करने के कारण तथा मौखिक बंटवारे में भी उक्त 1/2 हिस्से की भूमि में से 2/3 हिस्सा वादी को दिए जाने के कारण उक्त आराजी का 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्सा यानि कुल आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित फरमाया जावे तथा उक्त अनुसार उक्त आराजी के समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 से वादपत्र के मद सं0 2 व 3 में वर्णित आराजियात में से जिस हिस्से का उपहार पत्र प्रतिवादी सं0 36 के हक में दिनांक 6.6.2022 को पोशीदा तरीके से निष्पादित कराया गया उक्त उपहार पत्र वादी के हिस्से की आराजियात तक नल एण्ड बोईड घोषित फरमाया जावे। इसी तरह प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 5 के नाम से वादपत्र के मद नं0 4 में वर्णित आराजियात का जो उपहार पत्र प्रतिवादी सं0 36 के हक में दिनांक 6.6.2022 को पोशीदा तरीके से निष्पादित कराया है उक्त उपहार पत्र भी वादी के 2/3 हिस्से की हद तक नल एण्ड बोईड घोषित फरमाया जावे। वादपत्र के मद [illegible] वर्णित उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी [illegible] 1/3 दर्ज है उसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का [illegible] भाग होने से उक्त हिस्से का वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के मध्य सरस नरस से विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा पृथक किया जावे तथा वादी के हिस्से का अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

खाता कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड तैयार करवाया जावे। इसी तरह वादपत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो हिस्सा 1/24 दर्ज है उसमें भी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का समान भाग होने से उक्त हिस्से का भी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के मध्य सरस नरस से विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा पृथक किया जावे। इसी तरह वादपत्र के मद नम्बर 4 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सं0 5 के नाम जो हिस्सा 1/2 दर्ज है उसकी खरीद में वादी द्वारा 2/3 हिस्से की राशि अदा करने से तथा मौखिक बंटवारे में भी वादी को 2/3 हिस्से की राशि अदा करने से तथा मौखिक बंटवारा में भी वादी को 2/3 हिस्सा उक्त प्रकार से देने से उक्त 2/3 हिस्सा वादी का पृथक किया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम किया जाकर अलग से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड तैयार कराया जावे। प्रतिवादी सं0 1, 2, 5 व 36 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात में वादी का जो उक्त प्रकार हिस्सा है उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग वादी में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे ना अपने किसी परिजन या अन्य किसी से उत्पन्न करावे तथा उक्त आराजियात को किसी तरह रहन वय सा अन्तरित नहीं करे ना ही उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में कोई बदलाव करावे। प्रतिवादी सं0 37 को भी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावेकि वह उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी की सहमति के बिना किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व 36 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 36 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.7.2022 को राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 379, 382, 512, फोटोकोपी उपहार पत्र दिनांक 8.6.2022 प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

वहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी ने जो राजस्व अभिलेख की नकल जमावंदी प्रस्तुत की है एवं वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व 36 ने जो राजीनामा प्रस्तुत किया है इनकी आपस में पुष्टि नहीं होती है। राजीनामा अभिलेख से बाहर जाकर प्रस्तुत किया गया है एवं राजीनामे की पुष्टि में कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

भवानीसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि० उदेईकलां तह० गंगापुरसिटी—वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र स्व0 भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. धर्मसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लाखनसिंह पुत्र प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. मिनेश पुत्री प्यारेलाल पत्नि ईश्वर, खारवाल निवासी इन्दौर (मध्य प्रदेश)
5. गंगादेवी पत्नि प्यारेलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. रामकिशोर पुत्र भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. नत्थू पुत्र भोला, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. सोनी देवी पत्नि रामकिशोर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
9. पांची पत्नि स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
11. घनश्याम पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
12. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
13. प्यारसिंह पुत्र स्व0 गंगाधर, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. शिमला पत्नि प्रहलाद पुत्री स्व0 गंगाधर, खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती
15. उदयसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
16. कमलेश पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
17. जयसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
18. मानसिंह पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
19. सतानन्द पुत्र रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
20. सुनीता पुत्री रामजीलाल, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
21. जसवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
22. कैलाशसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
23. चेतसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
24. प्रेमसिंह पुत्र रामस्वरूप, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
25. मुकेश पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
26. मुन्नीलाल पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)

27.हरकेश पुत्र कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
28.मूडी पत्नि कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
29.मंथरा पुत्री कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
30.लीला पुत्री कजोड़, खारवाल नि0 उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
31.पार्वती पत्नि सूका पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
32.छोटी पत्नि मुकट पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
33.कुच्ची पत्नि नाथ्या पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
34.उगन्ती पत्नि माधो पुत्री बदरी, खारवाल नि0 उदेईकलां तह0 गंगापुरसिटी
35.गुड्डी पत्नि लेखराम पुत्री बदरी, खारवाल नि0उदेईकलां तह0गंगापुरसिटी
36.रामपति पत्नि धर्मसिंह, खारवाल निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
37.लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –79/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.26 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)